



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092025-265847
CG-DL-E-01092025-265847

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 29, 2025/भाद्र 7, 1947

No. 14]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 29, 2025/BHADRA 7, 1947

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2025

का.नि.आ. 14(अ).—किरकी छावनी पुणे जिले के भीतर स्थित है;

और, छावनी बोर्ड, किरकी ने विद्यमान किरकी छावनी का अंग्रेजी नाम परिवर्तित करके खड़की छावनी करना अवधारित किया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 259 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जैसा छावनी बोर्ड, किरकी द्वारा अवधारित किया गया है राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होते हुए किरकी छावनी के अंग्रेजी नाम का खड़की छावनी में परिवर्तन घोषित करती है।

[फा. सं. 14(6)/2022-रक्षा(क्यू एंड सी)]

राकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th August, 2025

S.R.O. 14(E).—Whereas, the Kirkee Cantonment is located within the district of Pune;

And whereas, the Cantonment Board, Kirkee has determined to alter the English name of the existing Kirkee Cantonment to Khadki Cantonment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 read with sub-section (1) of section 259 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), the Central Government, as determined by the Cantonment Board, Kirkee, hereby declares the change of English name of Kirkee Cantonment to Khadki Cantonment with effect from date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F.No 14(6)/2022-D(Q&C)]

RAKESH MITTAL, Jt. Secy.